


प्रकाशन एवं
आदि के दस्तावेज
प्राप्तकर्ता

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश न्यायिकर केम्प रीवाम १५०
प्रकाश क्रमांक R. 1911-दो ११२



सर जै चूमार तिवारी तनय स्व० श्री विष्णुदत्त तिवारी निवासी
ग्राम बैलहा तहौ सील रायपुर कर्नू० जिला रीवा १५०५०० --- आवैदक

बनाम

R. 1911-दो ११२

श्री। १ अंजनी चूमार तिवारी तनय विष्णुदत्त तिवारी ग्राम बैलहा
तहौ सील रायपुर कर्नू० जिला रीवा १५०५०० --- अना० गण

१२१ १० टान पुक्री स्व० श्री विष्णुदत्त तिवारी निवासी ग्राम बैलहा
तहौ सील रायपुर कर्नू० जिला रीवा १५०५०० --- अना० गण

अधिवक्ता श्री अमिल चड्ढेदी

डाक उत्कृष्टा

रीवा विभाग २०६२०१२

अमिल
२०६२०१२

निगरानी बिरस्त आज्ञा श्री तहसीलदार
तहौ सील रायपुर कर्नू० जिला रीवा १५०५००
बापत्र प्रकरण क्रमांक २०३२७/२०११-२०१२
आप्ता दिनांक १०६२०१२

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०५०० भू -
राजस्व संहिता १९५९६०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

१:- यह कि अधीन स्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया
के विपरीत है।

२:- यह कि अधीन स्थ न्यायालय के सम्बन्ध आवैदक क्र० १ के द्वारा
प्रस्तुत धारा १७८/१०९, ११० की कार्यवाही अपैटानिक व अनियमित
है, जबकि धारा १७८ म०५० भू-राजस्व संहिता के विधान के अन्तर्गत
आपैन व व प्रस्तुत करने का नियम निर्धारित है तथा धारा १७८

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ८.१९.११-८.१२ जिला रीवा

सरोज कुमार तिवारी विरुद्ध अंजनी कुमार तिवारी

1

2

3

/६.१.१९-

1. आवेदक की ओर से श्री अभिनव नवेदी अधिवक्ता

द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील राष्ट्रपुर कानूनियान के

प्रकरण क्रमांक २०/३२३/२०११-१२ में पारित आदेश
दिनांक ०१.०६.२०१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-
राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप
अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)
के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय
को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २४-०३-१९ को
कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

४
सदस्य

जापन चन्न प्रस्तुत करने का नियम निर्धारित है तथा धारा १६

2 निरन्तर २४८